

न्यायालय-श्री राकेश कुमार पाटीदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला खण्डवा

जा. क्रमांक-258/2022

खंडवा, दिनांक-30.03.2022

-: आदेश :-

इस आदेश द्वारा माह अप्रैल 2022 के समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवसों में रिमांड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को खंडवा/हरसूद/पुनासा में उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है।

निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 04:00 से 05:00 बजे तक रिमांड एवं अत्यावश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य सम्पन्न करेंगे :-

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
<u>माह-अप्रैल</u>		
01.	सुश्री मुधलिका मुले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा म.प्र.	दिनांक 02.04.2022
02.	श्रीमती सपना पटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 03.04.2022
03.	सुश्री सौम्या साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 10.04.2022
04.	श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 14.04.2022
05.	श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 15.04.2022
06.	श्री मोहन डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 16.04.2022
07.	श्री विपेन्द्रसिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 17.04.2022
08.	श्री वि.प्र. सोलंकी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-खंडवा	दिनांक 24.04.2022
<u>हरसूद</u>		
09.	श्रीमती सीता कनोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील हरसूद जिला-खंडवा	माह अप्रैल 2022 के समस्त अवकाश एवं स्थानीय अवकाश के दिन
<u>पुनासा</u>		
10.	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा जिला-खंडवा	माह अप्रैल 2022 के समस्त अवकाश एवं स्थानीय अवकाश के दिन

नोट :-

- 1- माह अप्रैल 2022 में उक्त सार्वजनिक/स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त किसी कारणवश कोई अवकाश दिवस घोषित होता है, तो उक्त दिनांक को **श्री मोहन डावर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** के द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- 2- उक्त दिनांक को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
- 3- यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं, तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को रिमांड ड्यूटी सम्पादन करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा को सूचित करेंगे। लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह दायित्व रहेगा कि वह लिखित सहमति अनुसार समायोजन कर नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी सम्पन्न करेंगे।
- 4- रिमांड ड्यूटी के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्तों के अधिवक्ता के संबंध में तत्काल जानकारी ली जावेगी एवं जिन अभियुक्तों को विधिक सहायता की आवश्यकता है, वह तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी।
- 5- आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश से रिमांड ड्यूटी का कार्य संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जा सकेगा।

(राकेश कुमार पाटीदार) R
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा (म.प्र.)
खंडवा (म.प्र.)

पुष्ठांकन क्र. 2582/2022

खंडवा, दिनांक-30.03.2022.

प्रतिलिपि :-

- 1- कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय खंडवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- माननीय विशेष न्यायालय, प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश महोदय, खंडवा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खंडवा म.प्र.
- 5- कु0 मधुलिका मूले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 6- श्री विपेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 7- श्रीमती नमिता द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 8- वि.प्र. सोलंकी, स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट, जिला खण्डवा
- 9- श्रीमती सपना पटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 10- सुश्री सौम्या साहु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 11- श्री मोहन डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 12- श्री राहुल सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खण्डवा
- 13- श्री मनीष रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
- 14- श्रीमती सीता कनोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
- 15- श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पुनासा
- 16- श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद
- 17- पुलिस अधीक्षक, खंडवा (म.प्र.) की ओर समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 18- वन मंडलाधिकारी, वन विभाग खंडवा म.प्र. को सूचनार्थ प्रेषित।
- 19- जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी कार्यालय, खंडवा म.प्र.
- 20- उप संचालक (अभियोजन), कार्यालय जिला अभियोजन खंडवा को सूचनार्थ।
- 21- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खंडवा को सूचनार्थ।
- 22- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।
- 23- सिस्टम आफिसर की ओर आदेश की प्रति ईमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने बाबत।

(राकेश कुमार पाटीदार) R
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा (म.प्र.)
खंडवा (म.प्र.)